भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

B 555715

Lease Deed

यह लीज–डीड आज दिनांक 23.3.07 को बच्चन सिंह रावत उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व. श्री चेत सिंह रावत एवं श्रीमती निर्मला रावत उम्र 50 वर्ष पत्नी श्री बच्चन सिंह रावत जाति राजपूत निवासी प्लाट नं0 14ऑ, स्वामी विहार, निर्माण नगर, जयपुर, (पट्टादाता/Lessor) जिसे आगे चलकर इस लीज–डीड में प्रथम पक्ष शब्द से सम्बोधित किया जावेगा व रावत बाल विद्या निकेतन समिति रजिस्ट्रेशन नं. 129/83–84, कार्यालय विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर जरिये सचिव बच्चन सिंह रावत पुत्र स्व. श्री चेत सिंह रावत (पट्टेदार/ Lessee) जिसे इस लीज–डीड में आगे चलकर द्वितीय पक्ष शब्द से सम्बोधित किया गया है, के मध्य निम्न प्रकार लिखा जाता है :–

सचिव
रावत बाल विद्या निकेतन शिक्षा समिति
विवेक विहार, जयपुर

निर्मला रावत

लगातार........

उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

जो कि जयपुर नगर चौकडी हवाली शहर की योजना करणी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड़, जयपुर में भुखण्ड सं. 23 लगायत 30 है, जिनका कुल क्षेत्रफल 3302 वर्ग मीटर है, जो प्रथम पक्ष को छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 2505/एल है, से जरिये आवंटन पत्र दिनांक 30.09.02 के द्वारा आंवटित किया गया था जिसकी मांगी गयी राशि समिति में जमा कराये जाने पर समिति द्वारा उक्त सम्पूर्ण भुखण्डो का वास्तवित कब्जा प्रथम पक्ष को दिया गया। इस प्रकार प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भुखण्डों के एकमात्र मालिक, स्वामी एवं काबिज तथा अधिकारी है। द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भुखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 3302 वर्ग मीटर है में से भुखण्ड सं. 23 लगायत 25 एवं 28 लगायत 30, जिनका कुल क्षेत्रफल 2508 वर्ग मीटर है, की जमीन शैक्षणिक संस्था के उपयोग हेतु लीज पर लेना चाहता है तथा प्रथम पक्ष भी द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति लीज पर देना स्वीकार करते है, लीज की शर्तें दोनों पक्षों के मध्य निम्न प्रकार निश्चित हुई है, जिन शर्तों से दोनों पक्ष व दोनों पक्षों के उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न तथा एजेन्ट आदि भी पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे।

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा लीज पर दी गई 2508 वर्ग मीटर सम्पत्ति का द्वितीय पक्ष को कब्जा संभला दिया है, जो कब्जा संभालना एवं कब्जा प्राप्त करना प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष इस लीज–डीड में स्वीकार करते है। उक्त 2508 वर्ग मीटर जमीन प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को 90 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर देना तेय किया है तथा उक्त 2508 वर्ग मीटर जमीन को लीज पर देने की अवधि दिनांक 01.01.07 से लागू मानी जावेगी तथा लीज राशि 10,000/– अक्षरे दस हज़ार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से देय होगी तथा उक्त लीज राशि के अलावा द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को बिज़ली एवं पानी का बिल अलग से अदा करेगा अथवा द्वितीय

आज दिनांक 23 माह मार्च सन् 2007 को 01:50 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BACHAN SINGH RAWAT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHET SINGH
उम्र 45 वर्ष, जाति RAJPUT व्यवसाय BUSINESS
निवासी 141, SWAMI VIHAR NIRMAN NAGAR JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2007398001927)
(Lease Deed (more than 20 Years))

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

रसीद नं०	[2007398001956]
दिनांक	[23-3-2007]
पंजीयन शुल्क रू0	25000
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	200
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	694300
कुल योग रू0	719500

(2007398001927)
((Lease Deed (more than 20 Years))

उपपंजीयक,JAIPUR-IV
उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

पक्ष उक्त बिजली एवं पानी का बिल उक्त लीज राशि के अलावा व्यय वहन करेगा।

2. यह कि दोनों पक्षों के मध्य तय हुआ है कि तयशुदा लीज की द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अंग्रेजी माह की प्रत्येक 8 तारीख तक अदा कर देगा।

3. यह कि लीज पर दी गई 2508 वर्ग मीटर भूमि को द्वितीय पक्ष संस्था मात्र शैक्षणिक उपयोग हेतु ही उपभोग व उपयोग करेगी अन्य किसी कार्य में उपयोग व उपभोग करने पर प्रथम पक्ष को उक्त लीज डीड को निरस्त करने का अधिकार होगा।

4. यह कि लीज पर दी गई सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे जनसाधारण को व्यवधान या क्षति पहुंचे तथा अन्य किसी प्रकार का कार्य जैसे मादक पदार्थ, विस्फोटक सामान आदि भी नही रखेगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष लीज पर ली गई सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण अथवा सबलेट नहीं करेगा और न ही भागीदार बनाकर उक्त सम्पत्ति का उपयोग करेगा एवं ना ही उक्त लीज पर दी गयी सम्पत्ति में प्रथम पक्ष की सहमति के बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवायेगा।

6. यह कि लीज पर दी गई सम्पत्ति की यदि प्रथम पक्ष को स्वयं के लिए या स्वयं के परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष द्वारा लिखित अथवा मौखिक सूचना देने पर द्वितीय पक्ष को तीन माह के अन्दर–अन्दर खाली कर संभलाना होगा और यदि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को खाली करेगा तो उसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व प्रथम पक्ष को लिखित अथवा मौखिक सूचना देगा व सूचना न देने पर एक माह की लीज की राशि प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उप-पंजीयक (चतुर्थ) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर

Receipt

Signature Photo Thumb

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -BACHAN SINGH RAWAT / CHET SINGH
उम्र -45, जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 141, SWAMI VIHAR NIRMAN NAGAR JAIPUR

2 -NIRMALA RAWAT / BACHAN SINGH RAWAT
उम्र -40, जाति - RAJPUT, व्यवसाय -HOUSE WIFE
निवासी - 141, SWAMI VIHAR NIRMAN NAGAR JAIPUR

(And Claiment)

1 -RAWAT BAL VIDHYA NIKETAN SAMITI THRO SEC.
BACHAN SINGH RAWAT / CHET SINGH RAWAT
उम्र -45, जाति - RAJPUT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -141, SWAMI VIHAR NIRMAN NAGAR JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease Deed (more than 20 Years) को पढ़
सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

1- श्री/श्रीमती/सुश्री DIENSH SINGH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री ROOP SINGH
उम्र -27 वर्ष जाति-BHIST व्यवसाय -SERVICE
निवासी 10/670, KAWERI PATH,MANSAROVAR,JAIPUR

2- श्री/श्रीमती/सुश्री MADAN SINGH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री ANAND SINGH
उम्र -22 वर्ष जाति-RAJPUT व्यवसाय -SERVICE
निवासी 22, PANCHYAWALA ,VAISHALI NAGAR,JAIPUR

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठ के निशान मेरे
समक्ष लिये गयें हैं।

(2007398001927)
Lease Deed (more than 20 Years)

उप-पंजीयक (चतुर्थ) JAIPUR-IV
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

उप-पंजीयक
सत्यमेव जयते
जयपुर